

### Autonomy for TV and AIR

10465. PROF. MADHU DANDA-VATE :  
SHRI DIGAMBER SINGH :  
SHRI SANAT KUMAR MAN-DAL :

Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government propose to widen the coverage of Television of different parts of the country before the forthcoming General Elections to Lok Sabha ;

(b) if so, against this background, whether it is proposed to take the Television out of the total control of Government, to prevent any chances of its misuse for the benefit of the ruling party at the Centre ; and

(c) if so, whether steps will be taken to ensure more autonomy to mass media like Television and All India Radio ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING AND MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI H.K.L. BHAGAT) : (a) Government propose to provide TV service to about 70% population of the country during 1984-85.

(b) and (c). No, Sir. Govt. have decided not to set-up an autonomous bodies for Akashvani and Doordarshan because such an organisation is not necessary to enable these Media Units to discharge their basic objective, viz. serving the people. Functional autonomy, however, is available to these organisations.

थामसन प्रेस, फरीदाबाद पर ई०पी०एफ०

और इ०एस०आई० की बकाया  
धन राशि

10466. श्री कृष्ण चन्द्र पांडे : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि थामसन प्रेस (भारत) लिमिटेड फरीदाबाद अपने कर्मचारियों की भविष्य निधि की धनराशि अभी तक समय पर जमा नहीं कराती रही है ;

(ख) प्रबंधक बोर्ड द्वारा कर्मचारियों की अब तक ऐसी कितनी धनराशि जमा नहीं कराई गयी है और कब से जमा नहीं कराई गई है ;

(ग) कर्मचारियों के वेतन में से कितनी धनराशि काटी गई और कम्पनी के पास रखी रही और यह धनराशि कब से कम्पनी के पास रखी रही तथा कर्मचारियों द्वारा कटाई जा रही धनराशि और उसके साथ कम्पनी द्वारा दी जाने वाली राशि मिलाकर अभी तक कुल कितनी धनराशि जमा कराई जानी है ; और

(घ) इसके लिए कम्पनी के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) कर्मचारी भविष्य निधि प्राधिकारियों के अनुसार, यह प्रतिष्ठान छूट न प्राप्त कर्मचारियों के संबंध में भविष्य निधि अंशदानों को नियमित रूप से सांविधिक निधि में जमा करा रहे हैं। वे छूट प्राप्त कर्मचारियों के संबंध में भविष्य निधि अंशदानों को अपने न्यासी बोर्ड को नियमित रूप से तथा समय पर हस्तांतरित भी कर रहे हैं। यह भी सूचित किया गया है कि यह प्रतिष्ठान नियमित रूप से कर्मचारी राज्य बीमा अंशदान का भुगतान भी कर रहा है, सिवाय 2,424.85 रुपये के अल्प भुगतान के, जिसके संबंध में नियोजक के विरुद्ध एक दावा किया गया है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

अगीरथ के रिक्त स्थानों को भरा जाना

10467. श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भगीरथ के हिन्दी और अंग्रेजी संस्करणों के अनेक सम्पादकीय पद पिछले वर्ष से रिक्त हैं जिसके कारण पत्रिका समय पर नहीं निकलती है ;

(ख) क्या पिछले वर्ष सेवा निवृत्त हुए भगीरथ के सम्पादक ने पत्रिका के हित में सुझाव दिया था कि सूचना संवर्ग में अनुभवी लोगों, में से पदों को भरा जाना चाहिए, जिस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया था ; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए कब और क्या कार्यवाही की जाएगी रिक्त पदों पर केवल सम्पादकीय क्षेत्र के अनुभवी व्यक्तियों को ही नियुक्त किया गया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) "भगीरथ" के सम्पादकीय कर्मचारी सिंचाई मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन है। जैसा कि उस मंत्रालय ने सूचित किया है, "भगीरथ" (अंग्रेजी) के सम्पादक तथा "भगीरथ" (हिन्दी) के उप-सम्पादक के पद रिक्त हैं। सह-सम्पादक (हिन्दी) के पद का दर्जा बढ़ा कर सम्पादक के स्तर का कर दिया गया है। इस पद को भी नियमित आधार पर भरा जाना है। उस समय तक इस पद को सह सम्पादक द्वारा धारण किया जा रहा है।

जैसा कि बताया गया है, "भगीरथ" (अंग्रेजी) नियमित रूप से प्रकाशित हो रहा है। "भगीरथ" (हिन्दी) के प्रकाशन में कभी-कभी कुछ देरी हुई है।

(ख) जी, नहीं। जैसा कि बताया गया है, "भगीरथ" के सेवानिवृत्त सम्पादक ने अनुशंसा की कि नियमित सम्पादक का चयन हो जाने तक, इंजीनियरी पृष्ठभूमि वाले सक्षम अधिकारी को "भगीरथ" (अंग्रेजी) के सम्पादक के रूप में स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए तैनात किया जाये।

(ग) "भगीरथ" (अंग्रेजी) के सम्पादक के पद पर नियुक्ति मौजूदा भर्ती नियमों के अनुसार की

जाती है। तदनुसार, संघ लोक सेवा आयोग से आवश्यक कार्यवाही करने के लिए अनुरोध किया गया है। "भगीरथ" (हिन्दी) के सम्पादक तथा "भगीरथ" (हिन्दी) के उप सम्पादक के पदों को भर्ती नियमों को अंतिम रूप दिए जाने तक भरा नहीं गया है।

#### Fire in Mathura Refinery

10468. SHRI B.V. DESAI :  
SHRI DIGAMBER SINGH :  
SHRI M.V. CHANDRA-  
SHEKHARA MURTHY :

Will the Minister of ENERGY be pleased to state :

(a) whether it is a fact that production came to a halt at the Mathura Refinery when one of its units was damaged in a fire which broke out on the night of 15th March, 1984 ;

(b) if so, whether vital equipment was damaged and three employees were injured ;

(c) whether cause of the fire has been ascertained ;

(d) whether it is also a fact that a number of Refineries were affected by fires during the last 3-4 months ;

(e) if so, whether this shows that some agencies are operating in the Refineries to cause the damage ;

(f) if so, whether Government have made necessary security arrangements for the Refineries operating in India ; and

(g) if so, the details of the same ?

THE MINISTER OF ENERGY (SHRI P. SHIV SHANKAR) : (a) Yes, Sir.

(b) Yes, Sir.

(c) A Committee has been constituted to investigate the cause of fire, its final report is expected shortly.

(d) to (g). During the last 3-4 months